आयुक्त न्यायालय, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर

पी०डी०एस० पुनरीक्षण वाद संख्या –358 / 2022

रेखा कुमारी

बनाम

राज्य सरकार व अन्य

आदेश

अनुसूची 14– फार्म संख्या–563

आदेश की क्रम–संख्या और तारीख	**आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर**	*आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ*
02.05.2023	यह वाद माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा CWJC No. 400 / 2019 में दिनांक–24.11.2022 को पारित आदेश के आलोक में समाहर्त्ता, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय चयन समिति की बैठक में दिनांक 26.10.2018 को लिये गये निर्णय से असंतुष्ट होकर दायर किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 24.11.2022 को पारित आदेश का अंश :– **"Should the petitioner make a suitable representation/complaint before the concerned Divisional Commissioner within a period of 30 days, he shall look into tha matter and after hearing all the stakeholders including respondent No.6, shall pass a final order within a period of 90 days, giving reasons in support of the decision taken by him."** माननीय उच्च न्यायालय, पटना के आदेश के आलोक में वाद को अधिग्रहित कर संबंधित पक्षों को सविस्तार सुना।	

WEB COPY NOT OFFICIAL

आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि अनुमंडल पदाधिकारी, चकिया द्वारा जो मेधा सूची बनायी गयी उसमें आवेदिका (श्रीमती रेखा कुमारी) को प्रथम स्थान एवं विपक्षी सं0–06 (श्री अरूण कुमार) को द्वितीय स्थान पर रखा गया। जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा विपक्षी सं0–06 (श्री अरूण कुमार) को चयनित किया गया जबकि विपक्षी सं0–06 (श्री अरूण कुमार) द्वारा व्यापार स्थल के लिए खाता एवं खेसरा नहीं दिया गया है, जो अनुज्ञप्ति पाने के लिए आवश्यक अर्हता है। चयनित विपक्षी सं0–06 (श्री अरूण कुमार) जहाँ से दुकान का संचालन करती है उसके लिए उपभोक्ताओं को 05–06 किलोमीटर की दुरी तय करनी पड़ती है। आवेदिका का मैट्रिक में अंक 64 % है जबकि विपक्षी सं0–06 (श्री अरूण कुमार) का 30 % *है। साथ ही वादी के विद्वान अधिवक्ता का दावा यह है कि विपक्षी सं0–06 (श्री अरूण कुमार) का प्रमाण–पत्र फर्जी है क्योंकि एक ही सत्र में इन्होंने दो जगह से दो डिग्री हासिल की है।*

विपक्षी सं0–06 (श्री अरूण कुमार) के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि विपक्षी सं0–06 (श्री अरूण कुमार) का चयन योग्यता के आधार पर किया गया है। विपक्षी सं0–06 (श्री अरूण कुमार) द्वारा व्यापार स्थल के खाता एवं खेसरा से संबंधित पूर्ण सूचना समर्पित की गयी थी। एक ही सत्र में दो डिग्री धारित करने के संबंध में विपक्षी सं0–06 (श्री अरूण कुमार) के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि विपक्षी सं0–06 (श्री अरूण कुमार) ने इंजीनियरिंग करने वास्ते एक प्राइवेट कॉलेज मे नामांकन कराया था। नामांकन के बाद पढ़ाई छोड़ दिये एवं वहां से इन्हें (श्री अरूण कुमार) कोई डिग्री प्राप्त नहीं है।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक का कहना है कि आवेदिका से उच्चतर योग्यता धारित करने के कारण जिला चयन समिति द्वारा विपक्षी सं0–06 (श्री अरूण कुमार) का चयन किया गया, जो

WEB COPY NOT OFFICIAL

नियमानुकूल है एवं आवेदिका द्वारा दायर अपीलवाद खारिज होने योग्य है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने, वाद अभिलेख एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख में पोषित कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह वाद पूर्वी चम्पारण जिलांतर्गत प्रखंड–मेहसी, पंचायत–काठिया हरिराम, कोटि–अनुसूचित जाति हेतु जन वितरण प्रणाली की दुकान की अनुज्ञप्ति निर्गत करने से संबंधित है।

आवेदिका (श्रीमती रेखा कुमारी) की शैक्षणिक योग्यता स्नातक है, जबकि विपक्षी सं0–06 (श्री अरूण कुमार) की शैक्षणिक योग्यता स्नातकोत्तर है। दोनों (आवेदक एवं विपक्षी सं0–06) कम्प्यूटर ज्ञान से संबंधित प्रमाण–पत्र धारित करते है। कम्प्यूटर ज्ञान में समानता होने पर आवेदिका से उच्चतर योग्यता (स्नातकोत्तर) रखने वाले विपक्षी सं0–06 (श्री अरूण कुमार) को अनुज्ञप्ति हेतु चयनित किया गया है। ***"बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016"*** के कंडिका 9 (v) में अंकित है कि :–

"उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति हेतु आवेदक मैट्रिक पास और व्यस्क होगा परंतु कम्प्यूटर ज्ञान रखने वाले आवेदक को प्राथमिकता दी जायेगी। कम्प्यूटर ज्ञान की समानता होने पर अधिक योग्य को और उसमें भी समानता होने पर अधिक उम्र वाले को प्राथमिकता दी जायेगी।" जिस आधार पर जिला स्तरीय चयन समिति ने विपक्षी संख्या–06 का चयन किया है जो नियमानुकूल है।

अब जहाँ तक वादी के इस दावे का प्रश्न है कि एक ही सत्र में विपक्षी सं0–06 (श्री अरूण कुमार) दो डिग्री प्राप्त किये है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि विपक्षी सं0–06 (श्री अरूण कुमार) का स्नातकोत्तर का अंक पत्र सं0–BRABU/PG-4th/12-14612 है। जिसमें

WEB COPY NOT OFFICIAL

सत्र 2012–14 अंकित है। वहीं वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा राजधानी इंजीनियरिंग कॉलेज के कागजात के आधार पर जो दावा किया जा रहा है वह कोई डिग्री नहीं है बल्कि वह दिनांक 19.11.2014 के तिथि से निर्गत उपस्थिति के संबंध में एक सूचना मात्र है। साथ ही उसमें यह कहीं भी स्पष्ट नही है कि किस सत्र (किस वर्ष) के लिए उन्होने (विपक्षी संख्या–06) नामांकन कराया था या कब से कब तक वे (विपक्षी संख्या–06) उपस्थित थे।। इस प्रकार वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कोई ठोस कागजात/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जा सका जिससे यह साबित हो सके कि विपक्षी संख्या–06 द्वारा एक ही सत्र में दो जगह से डिग्री प्राप्त की गयी है। विपक्षी सं0–06 के उच्च योग्यता यथा स्नातकोत्तर पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा लिये गये निर्णय में किसी प्रकार की हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं पाते हुए प्रस्तुत अपीलवाद अस्वीकृत किया जाता है।

आई0टी0 सहायक को आदेश दिया जाता है कि आदेश प्राप्ति के 24 घंटे के अन्दर इस आदेश को आयुक्त कार्यालय के बेवसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करे। इस आदेश की प्रति सभी संबंधितों को दी जाय एवं निम्न न्यायालय का अभिलेख वापस करें।

लेखापित एवं संशोधित

आयुक्त **आयुक्त।**

WEB COPY NOT OFFICIAL